

## कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा

पत्रांक 5971-36 | 2020-2021

दिनांक:- 30/09/2020

प्रबन्धक

श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल ,  
रमपुरा, गढ़ी हरलाल- आगरा।

आप द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 21/09/2020 के क्रम में सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक, 08 मई, 2013 तथा शासनादेश संख्या 418/79-6-2013-18 एस (7) / 89 शिक्षा अनुभाग -6 लखनऊ दिनांक : 08 मई, 2013 के बिन्दु संख्या 15 के अनुसार “प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्रविधानों के द्रष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिये दी जाएगी। इस अवधि की शर्तों के उल्लंघन से सम्बंधित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।” चूंकि तीन वर्ष के अन्तराल या उसके बाद विद्यालय की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शासनादेश के अनुसार विद्यालय स्थायी मान्यता प्राप्त है।

उक्तानुसार संसूचित होना चाहें।

(राजीव कुमार यादव) 20  
30/09/2020

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

आगरा

सता। मे।

प्रबन्धक,

श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल,

रमपुरा, गढ़ी हरलाल—आगरा ।

**दिष्य :—** निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—२००९ की धारा १८ के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम २०१० के नियम-१५ के उपनियम (४) के अधीन विद्यालय के लिए अंग्रेजी माध्यम का मान्यता प्रमाण पत्र ।

**महोदय / महोदया,**

आपके दिनांक २९.०७.२०१६ के आवेदन —श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल, रमपुरा गढ़ी हरलाल—आगरा (विद्यालय का नाम, पते सहित ) को दिनांक ०१.०४.२०१७ से दिनांक ३१.०३.२०२० तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन है :—

१. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- २ विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ (उपांध-१) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, २०१० (उपांध-२) के उपबंधों का पालन करेगा ।
३. विद्यालय कक्षा १ में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के २५ पतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।
४. पैरा ३ में निदिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (२) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
५. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा ।
६. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा १५ के उपबंधों का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगा—

१. प्रवेश दिए गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।

१

२

2. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
  3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
  4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
  5. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
  6. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हताएं नहीं है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हताएं अर्जित करेंगे।
  7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करत है; और
  8. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापक क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेंगा।
  8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - 8068 वर्ग मीटर

कुल निर्मित क्षेत्र - 731 वर्ग मीटर

कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल - हाँ

कक्षाओं की संख्या - 13

प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह भांडागार के लिए कक्ष -04

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय--02-02

पेयजल सुविधा - हाँ, समर सेबिल द्वारा

मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई- हाँ

बाधारहित पहुंच - हाँ, डामर रोड

अध्यापक पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूदउपस्कर्ण/ पुस्तकालय की उपलब्धता-हाँ

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

५

५

13. विद्यालय के लेखों की किसी चार्टड आकाउण्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवृट्ट मान्यता कोड संख्या ( 25155-61 ) है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होगा। प्रत्येक कक्षा-कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी। यदि कक्षा-कक्ष माप के अनुसार बच्चों का प्रवेश नहीं किया जाएगा अर्थात् अधिक बच्चे प्रवेश किए जायेंगे तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जाएगी।
18. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

१८.३.१७

( दिनेश कुमार यादव )

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
आगरा

पृ०सं० / मान्यता / अं०मा० / 25155-61 / 2016-17 तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नौकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित:-

- 1—शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र० निशातगंज-लखनऊ।
- 2—सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 3—अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), शिक्षा निदेशालय उ०प्र० इलाहाबाद।
- 4—मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), आगरा।
- 5—जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा।
- 6—संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण/नगर) जनपद आगरा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
आगरा